Rajasthan Police	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर —:प्रेस नोट:—	

दिनांक 03.09.2024

फर्जी खाता खुलवाकर इंटरनेशनल गैंग से मिलकर करोड़ों रुपयें की साईबर ठगी को अजाम देने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार

घटना विवरण – प्रार्थी श्री बलवीर सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत, उम्र—48 वर्ष, पेशा— डॉक्टर निवासी—18, उम्मेद हैरिटेज पीएस रातानाडा ने दिनांक 16.05.2024 को पुलिस थाना रातानाडा में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि मेरे द्वारा फेसबुक साइट पर ऑनलाईन कोटक पीएमएस साईट पर शेयर व आईपीओ में पैसा लगाने पर मार्केट रेट से 5 प्रतिशत कम रेट पर शेयर मिलंगे उनके द्वारा Kotak IIPRO नाम से एप डाउनलोड करवाया तथा एक आईडी व पासवर्ड दिए व आईपीओ, शेयर में अपना पैसा लगाने को बताया। उनके द्वारा शुरूआत में निवेश पर मार्केट रेट से ज्यादा लाभ प्रार्थी को भेजा। उसके बाद प्रार्थी से आईपीओ व शेयर में निवेश करने पर ज्यादा लाभ प्राप्त होने के नाम पर निवेश करवाकर 2,18,97,797/— रूपये की धोखाधडी की गई। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 115/2024 पीएस रातानाडा में दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई।

कार्यवाही पुलिस – श्रीमान राजेन्द्र सिंह पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर आयुक्तालय जोधपुर द्वारासाईबर अपराध की बढती घटनाओं और विभिन्न बैकों में फार्जी चालु खाते खुलवाने की बढती संख्या को गंभीरता से लेते हुए श्री धन्ना राम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध एवं सतर्कता तथा जयराम मुण्डेल प्रभारी साईबर पुलिस थाना को इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश मिलने पर उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री बलवीर सिंह के साथ हुई ठगी में एक फर्जी खाता के.जी फैशन हब बैंक खाता में साइबर ठगी की राशि 18 लाख 68 हजार रुपये डलवाकर धोखाधडी कर ठगी की गई उक्त खाता का उपयोग करने वाले आरोपी को ट्रेस आउट कर दस्तयाब करने हेतु श्री दिनेश निरिक्षक पुलिस, जमशेद खान सहायक उपनिरिक्षक, कानि. महिपाल 1421 श्री पुनित गहलोत सहायक प्रोग्रामर की टीम गठित की गई उक्त टीम द्वारा लगातार अथक प्रयास कर आरोपी अजयसिंह को अलवर के मेवात क्षेत्र से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की बाद अनुसंधान आरोपी को गिरफतार कर न्यायलय में पेश कर पी. सी. रिमाण्ड प्राप्त कर ठगी की राशि बरामद करने व अन्य सहयोगी आरोपीयों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहें है।

तरीका वारदात – आरोपीयों की गैंग द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता हैं, जिनको पैसों कि जरूरत होती है ऐसे व्यक्ति को विश्वास में लेते और उसको साथ रखते तथा लोन करवाने की आड में आवश्यक दस्तावेज उद्यम प्रमाण पत्र, संस्था प्रमाण पत्र, जीएसटी प्रमाण पत्र इत्यादि तैयार करवा कर अपने प्रभाव वाली बैंक में चालू खाता खुलवाते। फिर उस खाते को (कॉरपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग) से जोड़ कर इस खाते में खाताधारक के अलावा एक आदमी ट्रांजेक्शन के लिए और जोड़ देते थे जो अपनी ही गैंग का सदस्य होता था, इससे जुडने के बाद में खाताधारक को किसी भी लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर उस खाते में जितना भी ट्रांजेक्शन होता उसमें अपना 10 प्रतिशत हिस्सा टेलीग्राम आईडी तथा डाउनलोड एप के द्वारा प्राप्त कर लेते थे। खाताधारक को पता चलने से पहले ये लोग उस खाते से रूपये हड़प लेते हैं। इस प्रकार के मामलों में बैंक मैनेजर या किसी बैंककर्मी की मिलीभगत हो सकती है। क्योंकि इस प्रकार के फर्जी खातों की जांच संबंधित ब्रांच में जाकर की जाती है और उनसे साक्ष्य/दस्तावेज/सीसीटीवी फुटेज इत्यादि प्राप्त करने के तुरंत बाद उक्त खाताधारक के द्वारा फोन बंद करना और अपने निवास से फरार हो जाने के मामले सामने आ रहे हैं।

गिरफ्तार मुल्जिमों का विवरण:–

अजयसिंह जादौन पुत्र श्री झण्डेलसिंह जाति जादौन राजपूत उम्र 29 साल निवासी मकान नं. 165 वाई ब्लॉक सुशांत सिटी 2 माचवा कालवाड़ रोड़ पुलिस थाना कालवाड़ जयपुर।

कार्यवाही में शामिल टीमः—

01. श्री जयराम मुण्डेल सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर थाना
02. श्री दिनेश डांगी नि.पु., साईबर थाना
03. श्री जम्मशेद खान सहायक उपनिरीक्षक, साईबर थाना
04. श्री पुनीत गहलोत सहायक प्रोग्रामर, साईबर थाना
06. श्री महिपाल कानि. 1421, साईबर थाना

सहायक पुलिस आयुक्त,
साईबर पुलिस थाना
आयुक्तालय जोधपुर।

आरोपीगण का फोटोः—